चौरिया बरियारपुर थाना काण्ड सं० 160/13
GR No. 3642/13 S/V बिरजु महतो

16.1.19 काराधीन अभियुक्त बिरजु महतो की ओर से दिनांक 15.1.19 को दाखिल जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त बिलकुल निर्दोष है। इसने कोई अपराध नहीं किया है। दिनांक 28.4.17 को अभिलेख अन्य सह अभियुक्त के उपस्थिति के लिए निश्चित था। उचित पैरवी के अभाव में अभियुक्त का बंध-पत्र खंडित कर दिया गया। अभियुक्त की ओर से कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का वचन देता है वर्तमान में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त न्यायालय की शर्तों के अनुसार बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है अतः अभियुक्त श्रीमान से जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। सुना।

A.P.O. जमानत आवेदन का कठोर विरोध करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 25(1-B)A, 26, 35 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है जो अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त कई वादों में वांछित है तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखा.
(हस्ताक्षर)
न्या. दण्डा.